

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/153
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00147
CICOM/R/2017/00408

दिनांक: 26.04.2017

अपीलकर्ता : श्रीमती गिरिजा देवी, पत्नी -श्री जे. के. गुप्ता,
मकान नं. 22, 23, 24 गली नं. 5,
खाहपुर खेड़ा, बिजवासन,
नई दिल्ली - 110061.

निर्णय की तारीख: 26.04.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	03.02.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	सूचना प्रदान नहीं की गई
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	---
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	गैरदिनांकित
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	125852/19.04.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	167/20.04.2017

- अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग में दाखिल की गई अपनी द्वितीय अपील पर की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना मांगी थी। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया है कि उन्हें वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई है।
- संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 03.02.2017 उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि आयोग के डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य अनुभाग को अग्रसारित हो जाने के कारण आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 11.04.2017 को ही प्राप्त हुआ है, जिसे आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा संचिका सं. CICOM/R/2017/00408 के द्वारा दिनांक 18.04.2017 को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु श्री कृष्ण अवतार तलवार को ऑनलाइन आर.टी.आई.-एम.आई.एस द्वारा अग्रसारित कर दिया गया है। अतः श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक (सेन्ट्रल रजिस्ट्री-1) को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को वांछित सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए।
- तद्वसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।



राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक (सेन्ट्रल रजिस्ट्री-1), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

प्रति लिपि
26/4/17